न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थनापत्र 165/2022 (2022/743)

1. रामचन्द्र पुत्र भूरा कुमावत निवासी मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

--अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः-

श्री अनुराग पाण्डेय - अधिवक्ता प्रार्थी

पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 04/04/23

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी, कब्जे काश्त, आधिपत्य स्वामित्व की आराजीयात वाके ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

खेवट खतोनी संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
344-332	2247/2213	0.38	बारानी 3
	कुल किता 1	**कुल रकबा 0.38 है.**	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है एवं प्रार्थी काबिज काश्त होकर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है जिस पर अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा नही है। उक्त आराजी का प्रार्थी ने सीमाज्ञान करवाया परन्तु प्रार्थी की उक्त आराजी के पडौसी आये दिन सीमा चिन्हो को हटा देते है व प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करने की चेष्ठा करते रहते है जिससे मौके पर आपस में विवाद होता है। अतः मौके पर सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए प्रार्थी स्वयं की उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाने हेतु यह

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

...नुसार अप्रार्थी से मौके पर पत्थरगढी करवाना

प्रार्थनापत्र पेश किया गया है जिस पर अप्रार्थी को प्रार्थनापत्र वर्णित उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी के प्रार्थनपत्र को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी की नियमानुसार पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित की गई जिसमे बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है राजहित प्रभावित नही है। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी करवाने का हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी के खाता संख्या नया–पुराना 344–332 में दर्ज खसरा नम्बर 2247/2213 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकडी द्वारा नियमानुसार कार्मिकों की टीम गठित करके आदेश की पालना की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)